

**अचल संपत्ति विवरणका वर्ष 2016-17**

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :- श्रीमती रमा निगम

(2) वर्तमान धारित पद :- अति.कार्या.सहा.श्रेणी-2

(3) कार्यालय का नाम :- कार्यपालन यंत्री (अउदा-निं.) सतना

(4) वर्तमान वेतन :- 23560+3800

(5) भविष्यनिधि क्रमांक :- 25192500

(6) कर्मचारी संख्या :- 89539216

उस जिले उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/ कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा बंधक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ग्राम (पतेरी) अमौधा तहसील रघुराज नगर जिला सतना	1) 1600 वर्ग फिट रिहायसी प्लाट मे अंश भाग मे 1200 फिट मे मकान बना है		1) रुपये 16 लाख लगभग	1) स्वयं के नाम पर	1) श्रीमती कपूर चतुर्वेदी पत्नी श्री रामाधर चतुर्वेदी से सन् 1988 मे कय किया गया था तथा मंडल से ऋण/स्वयं की बचत से भवन निर्माण किया गया।	-	-
2) ग्राम गडरा पवई, (रैगोंव) तहसील रघुराज नगर जिला सतना	-	2) 7.5 एकड लगभग कृषि भूमि	2) 21 लाख रुपये लगभग	2) श्री रजनीश कुमार निगम (पति) के नाम पर	2) पैतृक भूमि विरासत में प्राप्त हुई है, जो पुरतैनी है।	लगभग 25 हजार रुपये	पति श्री रजनीश कुमार निगम म.प्र. राज्य शासन के शिक्षा विभाग मे लेखापाल के पद पर पदस्थ है।
3) ग्राम (पतेरी) अमौधा तहसील रघुराज नगर जिला सतना	3) 2400 वर्ग फिट प्लाट के अंश भाग 1200 वर्ग फिट मे मकान बना है		3) रु. 16 लाख लगभग	3) कु. नेहा निगम उर्फ (कोमा निगम) पुत्री श्रीमती रमा निगम	3) दादी कटुलिया देवी से भेंट मे प्राप्त	-	-
4) ग्राम दामखेड़ा तहसील हुजूर, अयोध्या वायपास जिला भोपाल (म.प्र.)	950 वर्गफिट का मकान सी ब्लॉक फ्लैट नंबर 404 चौथी मंजिल	950 वर्गफिट का मकान सी ब्लॉक फ्लैट नंबर 404 चौथी मंजिल	3130000.00	श्रीमती रमा निगम	मेसर्स अग्रवाल कान्सल्टेशन कम्पनी भोपाल से खरीदना अनुबंधित है।	-	रुपये 20 लाख भारतीय स्टेट बैंक से ऋण एवं स्वयं/पति के आय की बचत से खरीदना प्रस्तावित है

हस्ताक्षर.....

नाम :- श्रीमती रमा निगम

पद :- अति.कार्या.सहा.श्रेणी-2

जहाँ लागू न हो काट दीजिए

ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इससे अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी :- मण्डल द्वारा वाह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवे।